

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक-15-12-2025

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5781/वि०, दिनांक-21.05.2025 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से 252% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/4(ii)/2025-E.II(B), दिनांक-06.10.2025 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 252% से बढ़ाकर 257% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

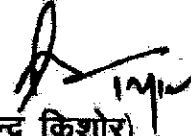
4.4. महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

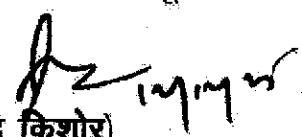
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-12720/वि०

पटना, दिनांक:-15-12-2025

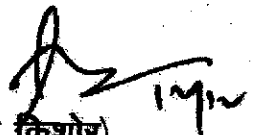
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-12720/वि०

पटना, दिनांक:-15-12-2025

प्रतिलिपि: माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक-15-12-2025

विषय:- पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5782, दिनांक-21.05.2025 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से 466% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/4(iii)/2025-E.II(B), दिनांक-06.10.2025 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 466% से बढ़ाकर 474% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः सम्यक् विचारोपरान्त पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. उक्त के फलस्वरूप दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई भत्ता की राशि को महँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया जाएगा।

4.3. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

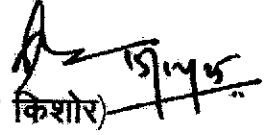
4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

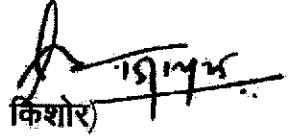
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

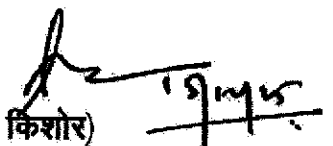
ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-12737/वि० पटना, दिनांक:-15-12-2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-12737/वि० पटना, दिनांक:-15-12-2025

प्रतिलिपि: माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक-14.05.26

विषय:- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2026 के प्रभाव से 58% के स्थान पर 60% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-10545, दिनांक-06/10/2025 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2025 के प्रभाव से 58% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/1(i)/2026-E.II(B), दिनांक-22/04/2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/02/2024-P&PW(D)/E-9475, दिनांक-24/04/2026 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 58% से बढ़ाकर 60% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2026 के प्रभाव से 58% के स्थान पर 60% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतनस्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायगा।

कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कौषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबधिक रूप से कर दिया जायेगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त मँहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/ मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-३ए-३-भत्ता-०१/२०२२ - _____/वि० पटना, दिनांक:- _____

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-३ए-३-भत्ता-०१/२०२२ - _____/वि० पटना, दिनांक:- _____

प्रतिलिपि:-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:-३ए-३-भत्ता-०१/२०२२ - 4550 /वि० पटना, दिनांक:- 14-05-2026

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय।



14.5.26

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-14.05-26

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 257% के स्थान पर 262% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-12720/वि०, दिनांक-15.12.2025 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 257% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/1(ii)/2026-E.II(B), दिनांक-22.04.2026 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 257% से बढ़ाकर 262% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 257% के स्थान पर 262% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2 षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

4.4. महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबधिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-_____/वि०

पटना, दिनांक:-____

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-_____/वि०

पटना, दिनांक:-____

प्रतिलिपि:-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-14-05-2026

विषय:- पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-12737, दिनांक-15.12.2025 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 474% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/1(iii)/2026-E.II(B), दिनांक-22.04.2026 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 474% से बढ़ाकर 483% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः सम्यक् विचारोपरान्त पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. उक्त के फलस्वरूप दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2026 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई भत्ता की राशि को महँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 474% से बढ़ाकर 483% कर दिया जाएगा।

4.3. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबधिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-4552/वि०

पटना, दिनांक:-14-05-2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-4552/वि०

पटना, दिनांक:-14-05-2026

प्रतिलिपि:-माननीय राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



14-5-26
(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।